

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 246.55 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 2,46,55,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 2747.03 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,47,03,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003 (बचत निधि पर ब्याज) के भुगतान हेतु रुपये 7034.59 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 70,34,59,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज) के भुगतान हेतु रुपये 17422.78 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,74,22,78,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1

राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के निर्वाचन व्यय के मुद्रण से संबंधित लंबित देयकों के भुगतान हेतु रुपये 2,29,00,900 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,29,00,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 2 - 4

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता एवं परीक्षा के लिये रुपये 225.00 लाख का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः इस आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2,25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 5

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिये कानून व्यवस्था/गोपनीय वार्ता को दृष्टिगत रखते हुये दूरसंचार प्रणाली विकसित करने पर रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 6

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत नवीन एनेक्सी के निर्माण के लिये रुपये 610.00 लाख का व्यय होना अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 6,10,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मध्यांचल भवन, नई दिल्ली के नव निर्मित अतिथि गृह के भू-भाटक, कंपोजिशन फीस एवं विद्युत कनेक्शन के भुगतान पर रुपये 272.85 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,72,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

भोपाल यूनिजन कार्बाइड गैस त्वासदी जांच आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के उपयोग हेतु दो वाहन क्रय करने पर रुपये 9.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट के विकासीय कार्यों पर रुपये 52.07 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 52,07,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालक मेडिको लीगल के अन्तर्गत मजदूरी मद में रुपये 0.32 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 32,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04
मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

माननीय मंत्रीगणों के शासकीय आवास गृहों की साज-सज्जा पर वर्ष के दौरान रुपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 2

माननीय मंत्रीगणों के उपयोग हेतु वाहन क्रय किये जाने पर रुपये 120.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 3

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वेतन एवं महंगाई भत्ता मद में रुपये 34.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। रुपये 19.00 लाख बचत से उपलब्ध कराये जावेंगे।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2071

मद क्रमांक 1-3

प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवा निवृत्ति पर देय पेंशन तथा अनुषांगिक लाभ हेतु रुपये 58641.21 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,86,41,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 4

पेंशनर कल्याण कोष से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत स्टाम्प एवं पंजीकरण, 6002 मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क निधि के अन्तर्गत रुपये 32,58,70,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 32,58,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 6

राजस्व बोर्ड हेतु निम्नांकित मदों के अंतर्गत उनके सामने अंकित अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण रुपये 50.90 लाख की आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 49.00 लाख का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया था:-

| | |
|---------------------|-----------------|
| 11-001 वेतन | रुपये 30,00,000 |
| 11-003 महंगाई भत्ता | रुपये 12,00,000 |
| 11-028 ग्रेड पे | रुपये 7,00,000 |
| 16-001 वेतन | रुपये 1,00,000 |
| 16-003 महंगाई भत्ता | रुपये 70,000 |
| 16-028 ग्रेड पे | रुपये 20,000 |

कुल रुपये 50,90,000

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु रुपये 50,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 7 - 10

जिला प्रशासन, जिला स्थापना के अन्तर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अन्य प्रभार तथा मंडला समागम के लिये भू-अर्जन हेतु रुपये 1,31,88,600 का व्यय संभावित है। इस राशि में मंडला समागम के लिये भू-अर्जन हेतु रुपये 63,92,508 का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु रुपये 1,31,88,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

उत्पादन वन मंडल के राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस के अंतर्गत करें एवं रायल्टी के भुगतान हेतु रुपये 1968.85 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,68,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

इमारती लकड़ी मद में मजदूरी एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया के अंतर्गत रुपये 5.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

बांस मद में मजदूरी एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया के अंतर्गत रुपये 1.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

भारत ओमान रिफाईनरी लिमिटेड को वर्क्स कान्ट्रेक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2,44,04,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,44,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्योग आयुक्त के अन्तर्गत राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेन्ट कॉरिडोर्स के विकास के लिये राशि रुपये 65,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 1

विद्युत वितरण कंपनियों पर बकाया विद्युत शुल्क/उपकर/देय राशि पर दाण्डिक ब्याज की राशि एवं पॉवर ट्रेडिंग कंपनी पर सरदार सरोवर विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत के 50 प्रतिशत अंश की बाकाया राशि रुपये 138136.63 लाख की वसूली दर्शाते हुये उतनी ही राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में कंपनियों को प्रदान की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,81,36,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

संचालनालय कृषि के अंतर्गत खाद्य एवं उर्वरक की व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज योजना में रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें के अंतर्गत बैद्यनाथन कमेटी के अंतर्गत सहकारी बैंक सहकारी साख संस्थाओं की पुनर्संरचना हेतु योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 3,74,95,700 का अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,74,95,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 17

कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्थें अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, अन्य भत्ते, ग्रेड-पे, बिजली एवं जल प्रभार, किराया एवं महसूल कर एवं दवाईयों के क्रय हेतु रुपये 1066.07 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 10.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 10,66,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 18

भारत सरकार, द्वारा बंधक श्रमिक की सर्वेक्षण योजना अन्तर्गत बंधक श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया जाना है। इस कार्य पर रुपये 45.40 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 45,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 1

नाबार्ड के 16वें चरण के अंतर्गत 2 सिविल अस्पताल पिपरिया जिला होशंगाबाद तथा बड़वाह जिला खरगोन के भवन निर्माण/उन्नयन हेतु रुपये 12.59 करोड़ तथा 2 जिला चिकित्सालय बुरहानपुर तथा सिंगरोली जिला चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण/उन्नयन हेतु रुपये 3153.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नाबार्ड के 16वें चरण के अंतर्गत निम्नांकित 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है:-

(आंकड़े हजार में)

क्र. जिला गांव का नाम अनु. राशि प्रतीक प्रावधान

(अ)

| | | | |
|-----------|----------|-------|-----|
| 1. धार | दोताया | 70.00 | 100 |
| 2. कटनी | खामतरा | 70.00 | 100 |
| 3. कटनी | कछारगांव | 70.00 | 100 |
| 4. कटनी | बड़गांव | 70.00 | 100 |
| 5. खण्डवा | जावर | 70.00 | 100 |
| 6. खण्डवा | घनगांव | 70.00 | 100 |
| 7. खण्डवा | सेंधवाल | 70.00 | 100 |
| 8. खण्डवा | सिरवेल | 70.00 | 100 |
| 9. सतना | झिन्ना | 70.00 | 100 |

| | | | |
|-----------|----------|-------|-----|
| 10. सतना | सन्नेही | 70.00 | 100 |
| 11. शहडोल | न्यूसरसी | 70.00 | 100 |

(ब)

नाबार्ड के 16वें चरण के अंतर्गत निम्नांकित 92 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण/उन्नयन किया जाना है:-

क्र. जिला निर्माण की संख्या अनु. राशि प्रतीक प्रावधान

| | | | |
|---------------|----|--------|-----|
| 1. बालाघाट | 10 | 120.00 | 100 |
| 2. टीकमगढ़ | 1 | 12.00 | 100 |
| 3. बुरहानपुर | 2 | 24.00 | 100 |
| 4. छिंदवाड़ा | 10 | 120.00 | 100 |
| 5. देवास | 11 | 132.00 | 100 |
| 6. कटनी | 10 | 120.00 | 100 |
| 7. मंदसौर | 5 | 60.00 | 100 |
| 8. भिण्ड | 5 | 60.00 | 100 |
| 9. पन्ना | 2 | 24.00 | 100 |
| 10. मुरैना | 4 | 48.00 | 100 |
| 11. नरसिंहपुर | 5 | 60.00 | 100 |
| 12. रतलाम | 5 | 60.00 | 100 |
| 13. शाजापुर | 1 | 12.00 | 100 |
| 14. सिवनी | 6 | 72.00 | 100 |
| 15. राजगढ़ | 4 | 48.00 | 100 |
| 16. जबलपुर | 11 | 132.00 | 100 |

उपरोक्त व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

मंडला जिले में सामाजिक कुंभ मेले के आयोजन में हुये व्यय के भुगतान हेतु राशि रुपये 424.65 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,24,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 2

इंदौर जिले की महु तहसील में जानापाव पहाड़ी पर श्री परशुराम जन्म स्थली हेतु पेयजल योजना की अनुमानित लागत रुपये 123.19 लाख है। इस राशि की व्यवस्था विभाग उपलब्ध बजट की बचत से करेगा। यह कार्य अपरीक्षित नवीन मद के रूप में सम्मिलित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

शहरी परिवहन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 23 |
| मुख्य शीर्ष | 2700 |

मद क्रमांक 1-8

जल संसाधन विभाग के दैनिक वेतन भोगी सेवा के कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान मद में रुपये 2,20,000 का आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम का समायोजन किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 2701 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 9

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि रुपये 2.00 करोड़ का समायोजन किया जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 4700 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 10-11

प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिये निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं हेतु राशि रुपये 10150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस राशि की व्यवस्था विभाग द्वारा मांग संख्या-45 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 4701 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 12-14

प्रदेश में सिंचाई सुविधा विस्तार हेतु मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये राशि रुपये 3400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभाग क्रमशः मांग संख्या 45 एवं 41 से राशि समर्पित कर करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 24 |
| मुख्य शीर्ष | 5053 |

मद क्रमांक 1

राजा भोज विमानतल भोपाल के नवीन टर्मिनल भवन के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 5054 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 2

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के स्वीकृत 36 नवीन कार्यों में राशि रुपये 41,27,03,600 के व्यय की संभावना है। विभाग इस राशि की व्यवस्था स्वयं के बजट से करेगा। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी.) | लागत प्रतीक (लाख में) प्रावधान |
|------|------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|------|------|--------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|----|-----------|--|-------|------------|
| 1. | छिंदवाड़ा | झोंटकला-गिरजामाई-मौतोर-बिलावरकला मार्ग | 10.80 | 802.69 100 |
| 2. | दमोह | तीन गुल्ली से मोहन टॉकिज मार्ग | 1.48 | 629.58 100 |

| | | | | |
|---------------|---|-------|---------|-----|
| 3. देवास | नागमहाराज फाटा से सूरखेड़ी भौरारा से मिरजापुर भेरूखारा मार्ग | 8.00 | 792.85 | 100 |
| 4. देवास | बड़नगर से नागरखेड़ी नौसराबाद से मनोरंजन ढाबा तक मार्ग | 9.00 | 866.40 | 100 |
| 5. देवास | देवास बाय पास विजयपुर मण्डी मार्ग | 31.60 | 3443.56 | 100 |
| 6. देवास | बाग (देवगर) से जतेरीया मार्ग | 10.40 | 1219.80 | 100 |
| 7. भिण्ड | लहार-ददरौआ-चितौरा-ग्वालियर मार्ग | 10.40 | 741.98 | 100 |
| 8. सतना | दूरेहा-कपारी-अमकु अमकुई-कोटा-बमुरहीया-माडटोला-भाधवगनवरिया-उमरई-पबईया-असमिले-धरमपुरा मार्ग | 57.84 | 4327.04 | 100 |
| 9. शाजापुर | बरडियासोन रेल्वे गेट से पलसवाड़ा-लालपुर-हनौती-झोंकर-जलालपुर-आगरा बॉम्बे मार्ग | 19.70 | 1495.65 | 100 |
| 10. शाजापुर | बिरगोद मार्ग से टंडा-पिंडोनिया-गोयलवर्दी-दौराहापुर-सूल्तानपुर मार्ग | 16.50 | 1209.84 | 100 |
| 11. अशोकनगर | अशोकनगर-विदिशा मार्ग से बुडोन राजपुर-छिपोन मार्ग | 26.70 | 2151.73 | 100 |
| 12. सीहोर | औबेदुल्लागंज रेहटी मार्ग | 34.00 | 3132.59 | 100 |
| 13. सीहोर | सीहोर नरसिंहगढ़ मार्ग | 28.40 | 1214.10 | 100 |
| 14. सीहोर | इटारसी छिपानेर मार्ग | 8.90 | 626.27 | 100 |
| 15. सीहोर | नादनेर से भारकक्ष, मचवाई से जती जक शन मार्ग | 12.90 | 940.29 | 100 |
| 16. सतना | पैकोरी-खदौरी-खदेरा-लाटमा-बंदी-मसनाहा-उमरहट मार्ग | 17.58 | 883.97 | 100 |
| 17. छिंदवाड़ा | (तितरा-धनगरिया बुधी गांव) घाटामाली नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 0.11 | 243.51 | 100 |
| 18. बड़वानी | अंबापानी-सिंगुना-सालीफाटा मार्ग | 10.10 | 699.41 | 100 |
| 19. बैतूल | मुल्ताई-बौरदेही-छिंदवाड़ा सीमा तक | 36.50 | 3762.47 | 100 |
| 20. सिवनी | उगली-नगरबाड़ा मार्ग | 3.41 | 288.71 | 100 |
| 21. ग्वालियर | आरौन-रानीघाट मार्ग | 13.60 | 1032.29 | 100 |
| 22. नरसिंहपुर | गारडरवाड़ा-वारावदा-जामगांव-चावलपानी-छिंदवाड़ा मार्ग | 17.50 | 1466.03 | 100 |
| 23. रीवा | भिधा झलवार घाट, तमस नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 0.00 | 292.62 | 100 |
| 24. सतना | नागौद उचेहरा मार्ग स्थित करारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 0.00 | 178.77 | 100 |
| 25. सतना | नागौद उचेहरा मार्ग स्थित नंदा नदी पर बॉक्स टाईप पुल का निर्माण | 0.00 | 184.11 | 100 |
| 26. टीकमगढ़ | जतारा-लिधौरा-जेवरा मार्ग | 29.00 | 2088.82 | 100 |
| 27. धार | ऑटो टेस्टिंग पीथमपुर इंडस्ट्रीयल एरिया पहुंच मार्ग | 4.80 | 338.99 | 100 |
| 28. भोपाल | विदिशा-बैरसिया मार्ग | 14.87 | 1429.69 | 100 |
| 29. बुरहानपुर | असीर-चांदनी-नेपानगर मार्ग | 3.80 | 293.66 | 100 |
| 30. पन्ना | सेमरिया-महेन्द्रा-रायपुरा मार्ग | 56.00 | 3043.88 | 100 |
| 31. सीहोर | सतराना-चकल्दी मार्ग | 8.60 | 519.50 | 100 |
| 32. नरसिंहपुर | खापासानी-गणेशगुज मार्ग स्थित धुधई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 0.00 | 609.27 | 100 |
| 33. मुरैना | संगौली-हरिच्छा मार्ग स्थित आसन नदी पर उच्च | 0.00 | 232.82 | 100 |

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी.) | लागत प्रतीक (लाख में) | प्रावधान |
|------|----------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| 34. | शिवपुरी | स्तरीय पुल का निर्माण छर्च-खरबाया-इंदूखी मार्ग स्थित कुनो नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 0.00 | 580.94 | 100 |
| 35. | ग्वालियर | तारागंज शमशानघाट मार्ग स्थित काला सव्यद नाला पर पुल का निर्माण | 0.00 | 51.86 | 100 |
| 36. | रीवा | चौराघाट से हनुमाना-सोनारी मार्ग | 5.00 | 459.74 | 100 |
| योग | | | 507.49 | 42275.43 | 3600 |

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,600/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जिला तथा अन्य सड़कों के अंतर्गत सड़को का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विभाग इस राशि की व्यवस्था बजट की बचत से करेगा। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी.) | प्रतीक प्रावधान |
|------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | विदिशा | बागरोद चौराहा (एन.एच. 86) से मासेर मार्ग का निर्माण | 16.00 | 100 |
| 2. | होशंगाबाद | तवा पुल से मनवाडा मार्ग का निर्माण | 03.00 | 100 |
| 3. | विदिशा | कुरवाई भौरसा क्रासिंग से रुसिया, सडेरा, केनखेड़ी, पिकलोद, अरनोट, चिरावाया, बेरखेड़ी मार्ग का निर्माण | 30.00 | 100 |
| योग | | | | 300 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों के अन्तर्गत सड़क मार्ग के स्वीकृत 11 नवीन कार्यों में राशि रुपये 12,70,01,100 के व्यय की संभावना है। विभाग इन कार्यों के क्रियान्वयन के पूर्व आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा, तथा इस राशि की व्यवस्था स्वयं के बजट से करेगा।

कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी.) | लागत प्रतीक (लाख में) | प्रावधान |
|------|-----------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| 1. | छिंदवाड़ा | मालेगांव-खापापदरीवार से महाराष्ट्र सीमा तक | 3.80 | 300.66 | 100 |
| 2. | छिंदवाड़ा | साईखेड़ा से एम.पी./महाराष्ट्र सीमा तक | 1.98 | 152.84 | 100 |
| 3. | छिंदवाड़ा | चिरैवानी-घाटपिन्डरई महाराष्ट्र सीमा तक | 2.00 | 162.25 | 100 |
| 4. | छिंदवाड़ा | विरलोपार-लोहाना-राजोरालाना महाराष्ट्र सीमा तक | 6.90 | 605.77 | 100 |
| 5. | छिंदवाड़ा | धानेगांव-चंद्रिकापूर घाट कुकदा-सुरसुतधा महाराष्ट्र सीमा तक | 3.10 | 202.47 | 100 |
| 6. | छिंदवाड़ा | सागोनवान-खैरी-गोरधा-पिलकापार-सुरसूरोध महाराष्ट्र सीमा तक | 8.70 | 579.90 | 100 |
| 7. | छिंदवाड़ा | रनगारीतोका मेंहदी चिरैवानी महाराष्ट्र सीमा तक | 7.70 | 658.90 | 100 |
| 8. | राजगढ़ | गोरधानपुरा-अमलावे रामगढ़ राजस्थान सीमा तक | 23.60 | 1793.03 | 100 |
| 9. | बैतूल | गुडगांव-भैंसदेही-कामला-कुकरू महाराष्ट्र सीमा तक | 42.00 | 3503.73 | 100 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------|---------|---------------|
| 10. बैतूल | मुल्ताई-आठनेर-चिल्कापुर मार्ग | 39.00 | 3467.85 | 100 |
| 11. श्योपुर | श्योपुर-खतौली मार्ग | 22.50 | 2238.78 | 100 |
| | | योग | 161.28 | 13666.18 1100 |

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 26 |
| मुख्य शीर्ष | 2205 |

मद क्रमांक 1

संचालक, राजभाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत मजदूरी हेतु रुपये 1.00 लाख का आधिक्य व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

जन नायक टंट्या भील की स्मृति में मेला आयोजन एवं उनके वंशजों को सम्मान राशि हेतु रुपये 16,00,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 27 |
| मुख्य शीर्ष | 2202 |

मद क्रमांक 1 - 5

लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 82.00 करोड़ की आवश्यकता है, उक्त राशि मांग संख्या 77 एवं 74 से रुपये 4997.92 लाख अन्य मदों से समर्पण तथा रुपये 3202.08 लाख अतिरिक्त राशि के रूप में शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

गैर सहायता प्राप्त अल्प संख्यक संस्थाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि रुपये 108.73 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 1,08,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत सरकारी शिक्षा महाविद्यालय हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि के परिणाम स्वरूप रुपये 212.38 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 2,12,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 29 |
| मुख्य शीर्ष | 2014 |

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये वाहन क्रय किये जाने पर रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय के मशीन एवं उपकरण के अनुरक्षण मद में रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3

विधि विभाग के अंतर्गत प्रतिस्थापन के बदले नवीन वाहन क्रय करने पर रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

जनसम्पर्क विभाग की समाचार पत्रों में राज्य उत्पाद शुल्क अंतर्गत विज्ञापन का प्रकाशन योजना अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 50,00,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 2

जनसम्पर्क विभाग की समाचार पत्रों में लोक सेवा आयोग अन्तर्गत विज्ञापन का प्रकाशन योजना अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 40,00,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 3

जनसम्पर्क विभाग की समाचार पत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 20,00,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 4

जनसम्पर्क विभाग की समाचार पत्रों में जल आपूर्ति तथा सफाई अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 1,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 5 - 9

जनसम्पर्क विभाग की निर्देशन और प्रशासन योजना अन्तर्गत मजदूरी, वाहनों के क्रय, विज्ञापन एवं प्रचार, सहायक अनुदान एवं मशीनें मद में रुपये 741.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। इस व्यय हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 5.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु राशि रुपये 7,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जनसम्पर्क विभाग की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार योजना अन्तर्गत रुपये 89.99 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 89,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 11

वन विभाग में विज्ञापन बिक्री और प्रचार अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में रुपये 67,000 का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 12

जनसम्पर्क विभाग की समाचार पत्रों में मध्यम सिंचाई अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 1,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 13

जनसम्पर्क विभाग की समाचार पत्रों में सड़कों एवं पुलों के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 84.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 - 17

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छटवें वेतनमान में पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्ते एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रुपये 88,93,04,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 88,93,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 18 - 46

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छटवें वेतनमान में पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्ते एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मकान किराया भत्ता, डाकतार व्यय, किराया हेतु रुपये 9,61,40,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,61,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 47 - 49

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छटवें वेतनमान में पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्ते हेतु रुपये 28,89,000 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 28,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

संचालनालय समाज कल्याण के अंतर्गत निर्देशन और प्रशासन योजना के मजदूरी मद में स्वीकृत बजट से रुपये 7.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालनालय समाज कल्याण के अंतर्गत दृष्टि श्रवण बाधित शालायें तथा संस्थायें योजना के मजदूरी मद में स्वीकृत बजट से रुपये 16.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालनालय समाज कल्याण के अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना में रुपये 70.00 लाख के अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 35 |
| मुख्य शीर्ष | 2235 |

मद क्रमांक 1 - 2

कर्मचारियों को समयमान वेतन की राशि का भुगतान एवं मृत कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान हेतु राशि रुपये 4,30,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

कर्मचारियों को समयमान वेतन की राशि का भुगतान एवं मृत कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान हेतु राशि रुपये 1.53 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 37 |
| मुख्य शीर्ष | 5452 |

मद क्रमांक 1

आयुक्त पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन अधोसंरचना के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 39 |
| मुख्य शीर्ष | 2408 |

मद क्रमांक 1

संचालनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों के बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति में स्वीकृत बजट से रुपये 400.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अंतर्गत गोदाम किराया प्रतिपूर्ति में स्वीकृत बजट से रुपये 33.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 41 |
| मुख्य शीर्ष | 2202 |

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच गुणवत्ता एवं क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राज्यांश के रूप में रुपये 2000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिवासी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रुपये 18.60 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आदिवासी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रुपये 360.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 4

खेल अकादमियों के संचालन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अकादमी खिलाड़ियों के लिये चिकित्सा, शिक्षण शुल्क एवं खेलवृत्ति आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 45.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल वृत्ति / सम्मान आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 46.06 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,06,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 6

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र - छात्राओं को शिष्यवृत्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में रुपये 68.82 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,82,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 7

आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भुख से मुक्ति दिलाने एवं भोजन की सम्मानजनक स्थाई व्यवस्था के उद्देश्य से केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण ग्रेन बैंक हेतु रुपये 1,77,63,200/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,77,63,200/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 8

भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों उपयोगना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा लघु वनोपज के विभिन्न कार्य के लिये रुपये 262.00 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 262.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,62,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

आदिवासी विकास खण्डों में आयोजित नमक के वितरण कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में रुपये 2.91 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,91,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 10

आदिवासी क्षेत्रों में एक सिविल अस्पताल लखनादौन जिला सिवनी के उन्नयन/निर्माण पर रुपये 12.67 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल रुपये 12.67 करोड़ का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

आदिवासी क्षेत्रों में 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मणीमाता जिला बड़वानी, हीरापुर, रानीपुर, मोहटा, हिडली जिला बैतुल, माण्डू जिला धार, चाड़ा जिला डिण्डौरी, धरगांव, आशापुर, श्रीखंडी एवं पीपलझोपा जिला खरगोन) के भवनों के निर्माण पर रुपये 70 लाख के मान से रुपये 7.70 करोड़ का व्यय अनुमानित है तथा 69 उपस्वास्थ्य केन्द्र (बड़वानी - 10, बुरहानपुर - 8, डिण्डौरी - 10, झाबुआ - 10, खरगोन - 10, मण्डला - 10, धार - 10 एवं रतलाम - 1) के निर्माण पर रुपये 8.28 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 15.98 करोड़ का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित पुलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | कुल लागत (रु. लाख में) |
|------|-----------|---|------------------------|
| 1. | बुरहानपुर | नेपानगर अम्बाड़ा दर्यापुर मार्ग के कि.मी. 6/4 में तासी नदी पर पुल | 1157.65 |
| 2. | धार | सरदारपुर भोपावर मार्ग पर माही नदी पर पुल | 500.00 |

उपरोक्त पर वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में निम्नांकित कार्यों के निर्माण कराये जाने हैं।

(रु. लाख में)

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | मार्ग की लंबाई (कि.मी.) | लागत (राशि) |
|------|------|--------------|----------------------------|----------------|
|------|------|--------------|----------------------------|----------------|

| | | | | |
|----|---------|--------------------------------------|-------|--------|
| 1. | बालाघाट | कन्हड़गांव - चिरगांव - बम्हनी मार्ग | 6.00 | 240.00 |
| 2. | बालाघाट | खेरी साबरी गोडीटोला मार्ग | 5.00 | 190.00 |
| 3. | बालाघाट | बालाघाट के आंतरिक मार्गों का निर्माण | 10.00 | 420.00 |
| 4. | बालाघाट | वहेगांव डोहरा अलझेरी बंजरी मार्ग | 7.00 | 109.20 |
| 5. | बालाघाट | बेहरई लिण्डेझरी बरबसपुर कायदी मार्ग | 5.00 | 205.00 |

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 44 |
| मुख्य शीर्ष | 2202 |

मद क्रमांक 1

बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप विश्वविद्यालय निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से अनुदान के रूप में ए.सी.ए. के अंतर्गत प्राप्त राशि रुपये 1375.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पांचवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत बजट की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 2010-11 में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 9,82,02,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,82,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 45 |
| मुख्य शीर्ष | 2702 |

मद क्रमांक 1

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम का समायोजन किये जाने हेतु रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 47 |
| मुख्य शीर्ष | 2203 |

मद क्रमांक 1 - 3

शासकीय पोलिटेकनिक /स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में कार्यरत अमले को पुनरीक्षित ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान देने हेतु स्वीकृत बजट की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2010-11 में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 के अतिरिक्त राशि रुपये 1173.35 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,73,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार की सहायता से 6 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों टीकमगढ़, पन्ना, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर एवं होशंगाबाद की स्थापना हेतु फर्नीचर, उपकरण आदि के लिये रुपये 480.00 लाख एवं 9 पोलिटेकनिकों के लिये प्राप्त राशि रुपये 4500.00 करोड़ में से शेष बची राशि रुपये 520.00 लाख फर्नीचर के लिये इस प्रकार कुल रुपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 7

शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों /स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में कार्यरत अमले को पुनरीक्षित ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान देने हेतु स्वीकृत बजट 2010-11 की तुलना में अतिरिक्त राशि रुपये 460.44 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,60,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 8 - 9

रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय के अंतर्गत स्वीकृत बजट की तुलना में किराया महसूल एवं कर विशेष सेवाओं हेतु अदायगियां मदों में रुपये 24.22 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी हेतु राशि रुपये 11.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 17

राज्य क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि रुपये 23.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 31,33

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले में आई.टी.आई. एवं स्किल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रुपये 3,54,19,200 शीर्ष 2230 तथा 4,42,60,000 शीर्ष 4202 के अंतर्गत व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 32

तकनीकी शिक्षा विभाग को भारत सरकार से 9 पोलिटेकनिकों के लिये प्राप्त राशि रुपये 45.00 करोड़ में से रुपये 2.00 करोड़ का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में किया गया है, शेष राशि रुपये 43.00 करोड़ में से राशि रुपये 3780.00 लाख एवं भारत सरकार की सहायता से 6 पोलिटेक्निक महाविद्यालयों टीकमगढ़, पन्ना, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर एवं होशंगाबाद की स्थापना हेतु भवन निर्माण हेतु रुपये 720.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 4500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 1

सरदार सरोवर परियोजना के व्यय में म.प्र. की हिस्सेदारी के शेयर कास्ट के पुस्तकीय समायोजन हेतु रुपये 198.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है इस मद में रुपये 104.18 करोड़ की राशि पुर्नप्राप्ति की होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,98,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50
मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1 - 6

लोक सेवा प्रबंधन (बीस सूत्रीय क्रियान्वयन) के अंतर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन मद में रुपये 117.83 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,17,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1099.55 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,99,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 229.08 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,29,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 723.87 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,23,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 124.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1886.21 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,86,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 396.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,96,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 132.35 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,32,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 186.51 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,86,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 92.29 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 92,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 119.11 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,19,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 226.65 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,26,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा हाई स्कूलों में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 320.41 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,20,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 13

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रीमैट्रिक छात्रावास संचालित है। छात्रावासों में निवासरत छात्रों के भोजन व्यवस्था हेतु शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि किये जाने से रुपये 77.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 14

जिला पंचायत स्तर पर संचालित शालाओं में अध्ययनरत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को रुचिकर भोजन कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 810.77 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,10,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

जनपद पंचायत स्तर पर संचालित शालाओं में अध्ययनरत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को रुचिकर भोजन कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 540.51 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,40,51,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित शालाओं में अध्ययनरत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को रुचिकर भोजन कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 1351.28 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,51,28,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 58 |
| मुख्य शीर्ष | 2245 |

मद क्रमांक 1

प्रदेश में ओला-पाला के कारण फसलों में हुये नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मूल बजट में लेखा अंतरण हेतु प्रावधानित राशि पुर्नविनियोजित की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2011-12 की अग्रिम किस्त राशि रुपये 77.32 करोड़ प्राप्त हुई है। इस राशि में राज्यांश जोड़कर रुपये 4,95,84,75,000 अंतरण हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,95,84,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश में ओला-पाला से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 61 |
| मुख्य शीर्ष | 4702 |

मद क्रमांक 1

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि का संबंधित परियोजनाओं में व्यय के लिये रुपये 6464.35 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,64,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 62 |
| मुख्य शीर्ष | 2515 |

मद क्रमांक 1 - 2

संचालनालय पंचायत के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित योजना में महंगाई भत्ता तथा गृह भाड़ा भत्तों में स्वीकृत बजट से रुपये 1024.51 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,24,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 63 |
| मुख्य शीर्ष | 2225 |

मद क्रमांक 1

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास योजना के अंतर्गत भोपाल जिले के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा मान्य की गई कार्य योजना हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 64 |
| मुख्य शीर्ष | 2202 |

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच गुणवत्ता एवं क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में

राज्यांश के रूप में रुपये 1600.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रुपये 14.90 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रुपये 290.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,90,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 4

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल वृत्ति / सम्मान आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 55.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 5

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजनांतर्गत निर्वाह भत्ता एवं छात्रवृत्ति की दरों में परिवर्तन किया गया है। इस हेतु भारत सरकार से रुपये 2719.00 लाख की अतिरिक्त राशि विमुक्त की गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 3 सिविल अस्पताल (सारंगपुर जिला राजगढ़, संयोगितागंज जिला इंदौर एवं आगरा जिला शाजापुर) के उन्नयन/निर्माण पर रुपये 16.87 करोड़ का व्यय अनुमानित है तथा जिला चिकित्सालय विदिशा के उन्नयन/निर्माण पर रुपये 26.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल रुपये 42.87 करोड़ का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (कनघटी, झारडा, बूड़ा, लसुडिया जिला मंदसौर, काल्दा, बिलपुरा साहन जिला पन्ना, अमलहा जिला सीहोर, मक्सी एवं मोहना जिला शाजापुर) के भवनों के निर्माण पर रुपये 70 लाख के मान से रुपये 6.30 करोड़ का व्यय अनुमानित है तथा 89 उपस्वास्थ्य केन्द्र (टीकमगढ़ - 5, देवास - 3, मंदसौर - 5, अशोकनगर - 13, भिण्ड - 10 (मछण्ड सहित), पन्ना - 3, दतिया - 10, मुरैना - 1, नरसिंहपुर - 3, रतलाम - 4, शाजापुर - 13, उज्जैन - 17, राजगढ़ - 2) के निर्माण पर रुपये 10.68 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत कुल रुपये 16.98 करोड़ का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

सागर चिकित्सा महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में निम्नांकित कार्यों के निर्माण कराये जाने हैं।

(रु. लाख में)

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | मार्ग की लंबाई (कि.मी.) | लागत (राशि) |
|------|---------|--|----------------------------|----------------|
| 1. | बालाघाट | मरवेली अमेदा मार्ग | 4.00 | 160.00 |
| 2. | बालाघाट | खैरलाजी से धूबण गोडी मार्ग | 3.00 | 120.00 |
| 3. | बालाघाट | विरसोला मोहगांव खमरिया खुरसोडी मार्ग | 6.00 | 240.00 |
| 4. | भिण्ड | पचेरा - गोरमी से पाली तक मार्ग | 2.80 | 120.00 |
| 5. | भिण्ड | बहुआ से सोनी तक व्हाया महारजपुर मार्ग | 5.40 | 200.00 |
| 6. | भिण्ड | सुंदरपुरा - अंतियन पुरा मार्ग | 9.00 | 205.00 |
| 7. | भिण्ड | जिगनिया - गुहीसर मार्ग | 3.50 | 162.24 |
| 8. | उज्जैन | सुहासा से कंजर मार्ग | 3.68 | 312.00 |
| 9. | भिण्ड | डिरमन जरकारी मार्ग | 4.00 | 157.24 |
| 10. | खण्डवा | आशापुर - बैतुल राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 26 काली घोडी से मैहुल मार्ग | 13.40 | 250.00 |
| 11. | खण्डवा | खण्डवा - होशंगाबंद मुख्य मार्ग भवानिया से खोकलिया से आशापुर - बैतुल राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 26 तक मार्ग | 11.00 | 350.00 |
| 12. | खण्डवा | सुन्दर देव गुलई मार्ग से घुटीघाट मार्ग | 4.50 | 240.00 |
| 13. | खण्डवा | मल्हारगढ़ से जामदड़ मार्ग | 5.50 | 725.00 |

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न स्थान पर मार्ग का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी.) | लागत (राशि लाख में) |
|------|--------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | खण्डवा | आशापुर - खालवा - सिंगोट मार्ग | 41.90 | 2693.00 |
| 2. | विदिशा | कालीदास घाट से रंगई घाट तक मार्ग | 5.10 | 297.00 |

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 3

संचालक, विमानन के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता तथा सामग्री एवं पूर्तियां में वर्ष 2010-11 में राशि रुपये 394.38 लाख का आधिक्य व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,94,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी छात्रों की संख्या में अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप राशि रुपये 45.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 500.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार से रुपये 158.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। किन्तु प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों के अनुसार वितरण न होने के कारण वर्ष 2009-10 में भारत सरकार से प्राप्त राशि रुपये 1.58 करोड़ वापस किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत अधूरे न्यायालय भवनों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपये 10.00 करोड़ की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था। जिसका समायोजन किया जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72
मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 1

गैस राहत क्षेत्रों के जीवन ज्योती कालोनी में स्थित सड़कों के नवीनीकरण हेतु राशि रुपये 50.00 लाख एवं आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु रुपये 50.00 लाख कुल राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

मानसिक अरोग्यशाला ग्वालियर के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के एरियर का भुगतान एवं अन्य आवश्यक व्यय हेतु राशि रुपये 99.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 74 |
| मुख्य शीर्ष | 2515 |

मद क्रमांक 1

संचालनालय पंचायत के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पुरस्कार योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 31.75 लाख का अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 75 |
| मुख्य शीर्ष | 2217 |

मद क्रमांक 2

माँ नर्मदा सामाजिक कुंभ मण्डला समागम 2011 के लिये राशि रुपये 265.01 लाख की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 28,00,000 का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 2,65,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विदिशा में माधवगंज से सागर पुलिया तक फोरलेन सड़क एवं अन्य आंतरिक सड़कों के निर्माण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 1

भोपाल की आंतरिक सड़कों के निर्माण हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 76 |
| मुख्य शीर्ष | 5054 |

मद क्रमांक 1

एशियन विकास बैंक की ऋण सहायता के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 12.96 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 12,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 77 |
| मुख्य शीर्ष | 2202 |

मद क्रमांक 1

विदिशा, बुरहानपुर एवं प्रदेश के अन्य जिलों में शाला भवन के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये आयोजनेतर मद में मुख्य शीर्ष 4202 से राशि समर्पित करते हुये मुख्य शीर्ष 2202 में प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

ग्रंथालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वामी विवेकानंद लायब्रेरी भोपाल के कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 13.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धन छात्रवृत्ति एवं वृत्तियों के अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि के अनुरूप 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के आधार पर राज्यांश की राशि रुपये 59,50,000 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 59,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नेशनल फाउन्डेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर फण्ड के लिये शैक्षणिक भ्रमण एवं संस्कृत पुस्तक मेले में सहभागिता के लिये अतिरिक्त राशि रुपये 3.56 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 3,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 6-7

राष्ट्रीय छात्र सेना के अन्तर्गत मजदूरी आदि के कारण स्वीकृत बजट की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2010-11 में आधिक्य के कारण राशि रुपये 2.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।